

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली ।  
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013  
18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन  
सचिवालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव  
उत्तराखण्ड शासन  
सचिवालय, देहरादून  
उत्तराखण्ड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री हीरा सिंह जीना, बोटेनिस्ट, सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, नैनीताल रोड, बरेली का प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हीरा सिंह जीना, बोटेनिस्ट का उत्तराखण्ड राज्य पुनरावर्तन प्रकरण पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्री हीरा सिंह जीना अब उत्तराखण्ड राज्य पुनरावर्तन हेतु इच्छुक नहीं है । अतः समिति द्वारा इस संबंध में उनसे प्रत्यावेदन लिखित रूप से लिये जाने के निर्देश दिये गये।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री हीरा सिंह जीना, बोटेनिस्ट उत्तर प्रदेश राज्य में बने रहेंगे तथा उपर्युक्त के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा उनसे लिखित सहमति ली जाएगी ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

